प्रारूप 1.5

A 2.1

## प्रतिवेदन

**परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत गोगिना से कीमू मोटर मार्ग के निर्माण हेतु भूमि उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में गोगिना से कीमू के निर्माण हेतु के किमी0 11 से छुरिया तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु शासनादेश सं0 1499/जिला योजना/2011–12 दिनांक 22.10.2011 के द्वारा 7.00 किमी0 लम्बाई एंव रु0 0.50 लाख की स्वीकृति (सर्वेक्षण एवं वनभूमि प्रस्ताव) हेतु प्राप्त हुई है।

यह शामा लीती गोगिना मोटर मार्ग के अन्त से प्रारम्भ होता है। इस मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से कीमू, गोगिना, पिथौरागढ़ जिले के नामिक गॉव भी लाभान्वित होगें। मार्ग का सर्वेक्षण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप अधिक से अधिक ग्रामों को जोड़ते हुए किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु मोटर मार्ग का होना अति आवश्यक है। यातायात न होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों का विकास नहीं हो पा रहा है। यहा की विषम भौगलिक परिस्थतियों को देखते हुए मोटर मार्गो का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। ताकि गावों से लोगों का पलायन रुके तथा गावों का समुचित विकास हो। यातायात व्यवस्था न होने के कारण यह क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती एवं पशुपालन है। यातायात सुविधा मिलने पर क्षेत्रवासीयों को अपने कृषि फसल एंव मौसमी फलों एवं सब्जियों का उचित मूल्य मिल पायेगा।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में वन विभाग के 1:50000 पैमाने के इन्डैक्स मानचित्र में लाल एवं हरे रंग से अलग–अलग दर्शाया गया है उसके अतिरिक्त डिजिटल एव गुगलमैप संलग्न है।

**संरेखण संख्या 1** यह समरेखण मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है। इस संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में सिविल वनभूमि, वन पंचायत भूमि एवं नापभूमि कम आती हैं एवं वृक्ष भी कम प्रभावित होते हैं, तकनीकी दृष्टि से मानको के अनुसार कम लागत पर उचित ग्रेड मिलता है एवं अधिक से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। इस संरेखण में 9 एच0पी0 बैन्ड पड़ते हैं। इस संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में ग्रामवासी सहमत हैं।

**संरेखण संख्या 2** यह समरेखण मानचित्र में हरे रंग से दर्शाया गया है, इस समरेखण का अधिकाश भाग कच्चे से होकर जाता है तथा आरक्षित भूमि, सिविल भूमि एवं वन पंचायत भूमि अधिक आती है एवं आरक्षित वन भाग में अत्यधिक वृक्ष प्रभावित होते हैं। इस संरेखण में 10 एच0पी0 बैन्ड पड़ते हैं। मोटर मार्ग निर्माण हेतु मानको के अनुसार ग्रेड नहीं मिलता है। स्थानीय जनता को इस समरेखन से कोई लाभ भी नहीं है।

इन दोनों संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण नं. 1 को मार्ग निर्माण हेतु तकनिकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से क्षेत्र के समग्र विकास एंव जनभावनाओं के अनुरुप उपयुक्त पाया गया है। पेड़ों की संख्या कम से कम आये इसके लिए पेड़ों की गणना 7 मीटर चौडाई में ही की गयी है तथा मार्ग का निर्माण भी 7 मीटर चौडाई में ही किया जायेगा।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए संरेखण नं. 2 को निरस्त कर संरेखण नं. 1 को अनुमोदित किया गया है। 7.00 कि.मी. लम्बाई हेतु 2.450 हैक्टर वनभूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने हेतु यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित् किया जा रहा है।

सहायक अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.कपकोट

अधिशासी अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.कपकोट